

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

वली संख्या..... 67 ..... तारीख दफ्तर 13/08/2020 दिनांक निर्णय 02/09/2020  
उनवान

पोर्ट पटवारी ..... हल्का फिरोजपुर ..... बनाम ..... श्रीधर, राधे, पुन्दी, क  
धोन्ना


आज पत्रावली मु.-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।  
सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207 7 ..... का नया कब्जा होना साबित होता है।  
अतिक्रमी काबिल बेदखली है।


अतः आदेश है कि-

गैरसायल श्रीधर, रामकिशन ..... पुत्र/ पत्नी ..... रामकरण  
जाति ..... मीना ..... निवासी ..... बावडी  
को आराजी खसरा नं. 4 ..... रुकबा ..... 0.50 ..... किस्म ..... जरागाट ..... वाके ग्राम  
बावडी ..... से बेदखल किया जाता हैं, तथा शरह लगान ..... 3.00 ..... की  
50 ..... गुना में मु. 150.00/- ..... रुपये कायमी कराई जावें

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानुनगो को लिखा जावें।

  
नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)  
राजगढ़ (अलवर)

स. ले. स. 4 वर्ष 2020-21  
के पृष्ठ संख्या 68 पर चार्ज 150/-  
राशि कायम किये गये।  
  
त. रा. लेखाकार